रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 जून 1986 17 ज्येष्ठ, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा एवम् संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 24 जनवरी, 1986

संख्या भाषा ए (3) 3/85.––हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास प्रारूपित नियम, 1984, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित व्यक्तियों की जानकारी के लिए और इनके राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उनसे आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, यदि कोई हों, सरकारी अधिसूचना संख्या 16-15/75/जी०ए०डी० वौल IV के अधीन तारीख 24-11-1984 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए गये थे ;

और नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ; अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक

387-राजपत्र/86-7-6-86—1,290.

मूल्य: 20 पैसे।

18) की धारा 34 को उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो :—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का 18) है ;

(ख) "सहायक आयुक्त" से नियम 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "अवक्षयण निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसके लिये टूट-फूट के अधीन रहते हुए आस्तियों के प्रत्यावर्तन हेतु व्यय को पूरा करने के लिये आयुक्त द्वारा अंशदानों को यथा अनुमोदित कर दिया गया हो ;

(घ) "आरक्षित निधि" से आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित आकस्मिकताओं के लिये व्यवस्था हेतु अलग से रखी निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और

(च) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, के वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें.—आयुक्त की सहायता के लिये सहायक आयुक्त या सहायक आयुक्त की नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों में से की जायेगी। आशुलिपीय कर्मचारी वृन्द, उप-आयुक्तों के कार्यालयों में से लिये जाएंगे और लेखा-परीक्षा कर्मचारी वृन्द ऐसी शर्तों पर जैसी राज्य सरकार अवधारित करें, किन्तु विभाग (स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार से लिये जायेंगे।

4. धारा 6 के अधीन तैयार किए जाने वाले रजिस्टरों का प्ररूप और रीति.—रजिस्टर प्ररूप "क" में रख जायेंगे।

5. धारा 6 (2) के अधीन सूचना.—धारा 6 (2) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी की जाने वाली सूचना प्ररूप "ख" में होगी।

6. अधिनियम की धारा 7 (1) के अधीन रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की संवीक्षा और सत्यापन.—अधिनियम की धारा 7 (1) के अधीन आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ,—

(क) न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता का इस आशय का शपथ-पत्र होगा कि उसने उक्त दस्तावेज में उल्लिखित मदों की प्रत्यक्ष रूप से जांच और सत्यापन किया है ; और

(ख) इस आशय का घोषणा-पत्र होगा कि अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 6 के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर में उल्लिखित हक विलेख और स्थावर सम्पत्ति के दस्तावेज, मूर्तियों के रंगीन फोटोग्राफ और प्रतिमायें प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों का विवरण, या कोई अन्य मूल्यवान मद उसकी अभिरक्षा में हैं।

रजिस्टर में यथा दर्शित अन्य वस्तुओं के और फेरफार की दशा में और प्रत्यक्ष सत्यापन के समय न्यासी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता, उसके द्वारा विधि के अधीन यथा अपेक्षित की गई कार्रवाई की आयुक्त को सूचना देगा। सत्यापन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होगा और 30 जून तक पूरा किया जाएगा। सत्यापन के दौरान न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नवीनतम अर्जन रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

7. स्थावर सम्पत्ति के नुक्सान या अधिक्रमण की दशा में अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अपेक्षित कार्रवाई.—स्थावर सम्पत्ति के नुक्सान या अधिक्रमण की दशा में न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता विधि द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक कदम उठायेगा और मामले की आयुक्त को रिपोर्ट देगा।

8. *अधिनियम की धारा 12 के अधीन भूमिका अन्तरण करने के लिए आवेदन.*—किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास को या उसके प्रयोजनार्थ दी गई या विन्यास की गई किसी स्थावर सम्पत्ति के विनियम, विक्रय, बंधक या किसी भी अन्य रीति से अन्तरण के लिए या ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर दिये जाने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप-ग में होगा।

9. अधिनियम की धारा 12 (3) के अधीन आयुक्त के आदेश के प्रकाशन की रीति.—आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 12 (3) के अधीन जारी किए गए आदेश की प्रति सम्बद्ध न्यासी और प्रस्तावित संक्रान्ती को रजिस्टर्ड डाक (पोस्ट) द्वारा भेजी जाएगी। उसका प्रकाशन निम्नलिखित रूप में भी किया जाएगा :—

(क) सूचना पट पर या सम्बद्ध धार्मिक संस्था के अगले दरवाजे पर आदेश की प्रति लगा कर ;

(ख) उस गांव या नगर के जहां सम्पत्ति स्थित है, सहज दृश्य स्थान पर आदेश की प्रति लगाकर, यदि वहां कोई पंचायत घर हो तो नियम की अपेक्षा पंचायत घर में आदेश की प्रति लगाकर पूरी की जाएगी; और

(ग) विषयगत सम्पत्ति पर आदेश की प्रति लगाकर और जहां वह सम्पत्ति स्थित है भूमि है वहां आदेश की घोषणा डौंडी पिटवा कर।

10. वह रीति जिसमें अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन जांच का संचालन किया जाएगा.—वित्त आयुक्त न्यासी और प्रस्तावित संक्रान्ति को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। वह पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देगा और उनकी सुनवाई के पश्चात् आदेश करेगा। वित्त आयुक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वित्त आयुक्त के प्रत्येक आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

11. अधिनियम की धारा 19 (2) के अधीन अपील प्राधिकारी.—वित्त आयुक्त अधिनियम की धारा 19 (2) के अधीन अपील प्राधिकारी होगा।

12. वह रीति जिसमें अधिनियम की धारा 19 (2) के अधीन अपील की जाएगी.—आयुक्त के द्वारा अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन दिये गए आदेश के विरुद्ध वित्त आयुक्त को अपील अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी। ज्ञापन में अपील किए गए आदेश के आक्षेपों के आधार संक्षिप्त रूप में और सुभिन्न शीर्षों में उपवर्णित किए जाएंगे और ऐसे आधार क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किए जाएंगे। वित्त आयुक्त को ऐसी अपील या तो रजिस्टर्ड डाक (पोस्ट) द्वारा भेजी जाएगी या व्यक्तिगत रूप में या अभिवक्ता द्वारा पेश की जाएगी और उसके साथ:—

(क) अपील किए गए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी; और

(ख) अपील के ज्ञापन की उतनी प्रतिलिपियां होंगी जितनी उन पक्षकारों को तामील किए जाने के लिए अपेक्षित हों जिनके अधिकार और हित ऐसी अपील में पारित किसी आदेश से प्रभावित होंगे।

13. अधिनियम की धारा 22 के अधीन तैयार किए जाने वाले बजट का प्ररूप.—बजट प्ररूप "घ" में तैयार किया जाएगा ।

14. अधिनियम की धारा 34 (2) (ख) के अधीन आय और व्यय की विवरणी.—आय और व्यय की विवरणी न्यासी द्वारा प्रति तिमाही प्ररूप "ङ" में भरी और आयुक्त को दायर की जायेगी ।

15. अधिनियम की धारा 34 (2) के अधीन मन्दिर और इमारतों की मुरम्मत.—ऐसे सभी मामलों में जहां मन्दिर का भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है मुरम्मत, हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग के परामर्श से की जाएगी। किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी और पुजारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आयुक्त द्वारा अनुमोदित बजट में आवंटित रकम को भवन की मुरम्मत और नवीकरण पर और हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की सम्पत्ति और आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण पर खर्च कर ।

16. अधिनियम की धारा 34 (2) (ट) के अधीन मूर्तियों और प्रतिमाओं का परिरक्षण और सुरक्षा.—किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी या पुजारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह मन्दिर की मूर्तियों और प्रतिमाओं के परीक्षण और सुरक्षा के लिए आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्देशित आवश्यक कदम उठाए ।

प्ररूप-"क"

वित्त वर्ष की समाप्ति पर विशिष्टियां

(नियम-4)

भाग क

संस्था का प्रारम्भ और इतिहास	भूतकाल और वर्त्तमान न्यासियों के नाम	न्यासी के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रथा और रूढ़ि, यदि कोई हो, की जानकारी के बारे विशिष्टियां	निम्नलिखित के बारे रिवाज तथा रूढ़ि :— (1) संस्था का प्रबन्ध । (2) न्यासी/प्रबन्धक की पदावधि । (3) भागीदारों के निर्वाचन/चयन/नामनिर्देशन की बाबत शक्तियां और प्रक्रिया । (4) भागीदारों का अंश (शेयर)
1	2	3	4

टिप्पण.—(1) इस प्ररूप को भरते समय न्यासी सर्वदा ऐसे स्रोतों को निर्दिष्ट करेगा जहां से जानकारी प्राप्त की गई है।

(2) यह रजिस्टर छः भागों में होना चाहिए ।

भाग–ख

पूर्ववर्ती दस वर्षों (प्रति वर्ष के हिसाब से) की कुल प्रायकलित आय

1974–75
1975–76
1976–77
1977–78
1978–79
1979–80
1980–81
1981–82
1982–83
1983–84

भाग–ग

पिछले तीन वर्षों में (प्रति वर्ष के हिसाब से) पूजा और देवता की पूजा से सम्बद्ध अन्य धार्मिक कृत्यों पर व्यय	प्रतिवर्ष के हिसाब से व्यय का मापमान शिक्षा संस्थाओं के अनुरक्षण की बाबत प्रतिवर्ष के हिसाब से पिछले तीन वर्षों में आवर्ती व्यय (प्रत्येक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जाएगी)	चिकित्सा संस्थाओं की बाबत पिछले तीन वर्षों में वार्षिक व्यय (प्रत्यक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जाएगी)	विद्यार्थियों के परीक्षण पर हुआ वार्षिक व्यय पिछले तीन वर्षों का प्रतिवर्ष के हिसाब से वार्षिक व्यय दिया जाएगा
1	2	3	4

पिछले तीन वर्षों म (प्रतिवर्ष के हिसाब से) धर्मशाला और सरायों पर हुआ व्यय (प्रत्येक धर्मशाला या सराय की बाबत व्यय पृथक रूप में दें)	धर्मशाला/शिक्षा संस्थाओं से भिन्न भवनों के नवीकरण या मुरम्मत पर पिछले तीन वर्ष में प्रतिवर्ष के हिसाब से हुआ व्यय	चलाई गई किसी अन्य संस्था में किए गए कार्यकलाप पर पिछले तीन वर्षों में (प्रतिवर्ष के हिसाब से) हुआ आवर्ती व्यय
5	6	7

भाग–घ

कर्मचारियों के नाम और सेवा का स्वरूप

कर्मचारियों का उनके माता पिता के नाम सहित नाम और पदनाम	विनिर्दिष्ट किया जाए कि क्या नियोजन अंशकालिक या पूर्ण कालिक है या अनुवंशिक या अनु आनुवंशिक है	वेतन	परिलब्धियां	कुलपरिलब्धियां
1	2	3	4	5

भाग–ङ

जंगम सम्पत्ति

6 (i) निधियां

हाथ का रोकड़	जमा बैंकों/डाकघरों/अन्य संस्थाओं में चालू/बचत लेखा		बैंकों/डाकघरों/अन्य संस्थाओं म दीर्घ कालिक जमा	
	संस्था	लेखा संख्या रकम और प्रतिरूप	संख्या	लेखा सम सं0 और प्रतिरूप	जमा की अवधि	रकम

(ii) अन्य जमा सम्पत्ति

क्रम सं0	वस्तु	विवरण	मात्रा		अनुपात सहित संघटक तत्व	प्रककलित मूल्य	वर्तमान
			सं0	वजन			

1. आभूषण
2. स्वर्ण
3. चांदी
4. रत्न, बहुमूल्य रत्न
5. पात्र
6. बर्तन
7. अन्य जंगम सम्पत्ति
   जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है।

भाग–च

1. कृषि भूमि :

ग्राम/नगर का नाम जहां स्थावर सम्पत्ति स्थित है	क्षेत्र		विक्रय विलेख या अन्य दस्तावेजों के अनुसार लगभग मूल्य	प्रत्येक सम्पत्ति से वार्षिक आय न्यूनतम (जमाबन्दी प्रमाण पत्र विक्रयविलेख/दान लेख की प्रति लगाएं
	खतौनी सं0/खसरा सं0	भू-राजस्व/किराया		
1	2	3	4	5

2. भवन और दुकानें :

भवन/दुकान की विशिष्टियां :

1. अवस्थिति
2. खसरा संख्या
3. भवन का विवरण
4. भवन का नाम
5. भवन की कुर्सी का क्षेत्र
6. भवन का प्राक्कलित मूल्य
7. भवन से वार्षिक आय

3. पूर्ण विशिष्टियों सहित कोई अन्य सम्पति :

4. हक विलेख और दस्तावेजों का ब्यौरा :

भाग–छ

मूर्ति का नाम	मूर्ति के संघटक तत्व प्रतिमाओं या रंग चित्रों आदि का ब्यौरा	पुरातन ऐतिहासिक अभिलेखों की विशिष्टियां उनकी संक्षिप्त विषय वस्तु सहित
1	2	3	4

टिप्पणी:––मूर्ति और प्रतिमाओं के रंगीन फोटो चित्र एलबम में रखे जाने चाहिये जो रजिस्टर का एक अंग होगा।

प्ररूप—"ख"

(नियम 5)

आयुक्त————————————————हिमाचल प्रदेश का कार्यालय ।

संख्या ———————————————— तारीख ————————————

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 प्रवृत हो गया है ।

और उक्त अधिनियम आपकी संस्था ————————————को लागू होता है, और, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (1) के अधीन आप से नियम 4 में यथा विहित रजिस्टर तैयार करने और रखने की अपेक्षा है ;

अतः अब हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यासी/न्यासी के प्राधिकृत अभिकर्ता श्री ———————————— पुत्र ———————————— को अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा रखे गये रजिस्टर को दो प्रतियों में इस सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने की सूचना देता हूं ।

आयुक्त,
(उसकी स्टाम्प सहित) ।

सेवा में,

————————————

————————————

————————————

प्ररूप "ग"

(नियम 8)

अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण, पट्टे पर देने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के आवेदन का प्ररूप ।

सेवा में,
आयुक्त————————————मण्डल,
हिमाचल प्रदेश ।

———————————— डाकघर ————————————
जिला ———————————— के निवासी ————————————(आवेदक) का आवेदन ।

आवेदक निम्नलिखित रूप में दर्शित करता है कि :—

(1) आवेदक———————————का न्यासी/प्राधिकृत अभिकर्ता है ।

(2) आवेदक निम्नलिखित सम्पत्ति को ———————————(अन्तरण की रीति दे) द्वारा अन्तरित करना/पट्टे पर देना चाहता है :—

कृषि भूमि	भवन	कोई अन्य सम्पत्ति
1.		
2.		
3.		

(3) उक्त सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय ———————————रुपये है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1.
2.
3.

(4) आवेदक उक्त सम्पत्ति को ———————————(पूरा पता दें)

श्री———————————पुत्र———————————को

निम्नलिखित कारणों से अन्तरित करना/पट्टे पर देना चाहता है :—

1. ———————————
2. ———————————
3. ———————————

(5) प्रतिफल की रकम ——————————— रुपये है ।

(6) यह सम्पत्ति रजिस्टर में दर्शाई गई है/नहीं दर्शाई गई है । सम्पत्ति की आय वर्ष———————————के बजट में दर्शाई गई है/नहीं दर्शाई गई है ।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (2) के अधीन रखे गये रजिस्टर में सम्पत्ति के लोप के लिए यह कारण है कि ———————————

सम्पत्ति की आय के लोप के लिए यह कारण है कि ———————————

अतः यह प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

तारीख

न्यासी या उसके प्राधिकारी अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

प्ररूप "घ"
(नियम–13)

धार्मिक संस्था का नाम और स्थान ——————————

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट ——————————

न्यास का शासकीय लेखा वर्ष

प्राक्कलित प्राप्तियां		प्राक्कलित संवितरण	
1		2	
1. अथ शेष:			
	रुपये पैसे		रुपये पैसे
(i) हाथ का रोकड़ ——————		(i) प्राक्कलित संवितरण ——————	
(ii) बैंक में रोकड़ ——————			
2. प्राक्कलित प्राप्तियां :			
(क) अनावर्ती		(क) अनावर्ती :	
(i) संस्था के लिए या पूजो उद्देश्यों के लिए प्राप्त किये जाने वाले संदान ।		(i) आस्तियों की मुख्य मुरम्मत और पुनर्निर्माण जैसे कि कुओं और नहरों का निर्माण और कृषि भूमि को पहली बार खाद देना आदि ।	
(ii) विनिर्दिष्ट या उद्दिष्ट उद्देश्यों के लिये प्राप्त किए जाने वाले साधारण संदान ।		(ii) स्थावर सम्पत्तियां का नया क्रय, बहुमूल्य वस्तुयें और अन्य जंगम सम्पति आदि के विनिधानों के लिए स्क्रय ।	
(iii) साधारण संदान ।		(iii) बैंक और अन्य कम्पनियों में नियत कालिक जमा ।	
(ख) (i) आवर्ती-(1) स्थावर सम्पति पर किराया या पट्टा किराया ।		(ख) आवर्ती.....	
		(i) किराए, दरें, कर और बीमा.....	
(ii) डिबेंचरों, प्रतिभूत्रों, जमा आदि पर ब्याज ।		(ii) प्रशासनिक खर्चे.....	
(iii) शेयर आदि पर लाभांश.....		(iii) कर्मचारी-वृन्द को वेतन और परिलब्धियों का संदाय.....	
(iv) कृषि भूमि से आय.....		(iv) अवक्षयण-निधि को अन्तरण	
(v) अन्य राजस्व प्राप्तियां		(v) भवनों, फर्नीचरों या अन्य आस्तियों की विशेष और चालू मुरम्मत ।	

1	2	3
3. आस्तियों के व्ययन से आपन और जमा आदि प्रति संदाय.....		2. प्रकीर्ण व्यय जो उक्त मदों में नहीं आते हैं ।
(क) शेयरों, प्रतिभूत्रों आदि का विक्रय		3. न्यास के उद्देश्यों पर हुए व्यय (प्रत्येक उद्देश्य का ब्यौरा दिया जायेगा)
(ख) जमा प्रतिभूत्रों, ऋणों आदि का प्रतिसंदाय		(i)
		(ii)
		(iii)

(ग) आस्तियों का व्ययन.....	4. व्ययों पर प्राप्तियों का अधिशेष.....
(घ) अन्य.....	(i) नकदी या बैंक में रखा जाने वाला.....
	(ii) आरक्षित निधि में अंतरित किया जाने वाला.....
	(iii) संस्था में जोड़ा जाने वाला.....
	(iv) अन्त अतिशेष.....
	(v) हाथ का रोकड़.....रुपये
	(vi) बैंक में रोकड़.....रुपये
जोड़ :	जोड़ :

टिप्पण :—आय और व्यय को ऐसी सम्पत्ति, शेयर जमा, कर्मचारी-वृन्द और अन्य संकर्म आदि के विवरण सहित जिन से आय प्राप्त हो जानी है और जिन पर व्यय उपगत किया जाना है मद के अनुसार ब्योरा संलग्न किया जाना चाहिए जिस से उन आधारों के बारे में स्पष्ट हो सके जिन पर प्राक्कलन तैयार किए गए हैं ।

प्ररूप "ङ"

[नियम 14 और अधिनियम की धारा 34(2) (ज)]

आय और व्यय की विवरणी)

.....का मन्दिर .....

.....को समाप्त होने वाला वर्ष

आय	रु0 पैसे	व्यय	रु0 पैसे
1. आरम्भिक अतिशेष :			
(क) नकदी		(क) कर्मचारियों और सेवकों के वेतन	
(ख) चालू लेखा		(ख) यात्रा भत्ता.....	
(ग) फसल आदि का मूल्य		(ग) आकस्मिकताएं	
जोड़ :		जोड़ :	
2. भूमि :		2. साधारण दैनिक पूजा के लिए व्यय.....	
		3. त्योहारों और धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यय....	
(क) फसल की प्राक्कलित मात्रा.....		(क) वैयक्तिक खेती और उद्यान कृषि के लिए व्यय....	
(ख) भूमि से अन्य आय.....		(ख) भूमि सुधार और मुरम्मत के लिए व्यय.....	
भूमि से कुल आय.....		(ग) भवनों की मुरम्मत के लिए व्यय.....	
		भूमि और भवनों की मुरम्मत के लिए कुल व्यय...	
3. किराया और फीसें :			
(क) मन्दिर के परिसरों में स्थित दुकानों से आय.....			
जोड़.....			
4. देवता को चढ़ावे :		5. वादों और मामलों के प्रति व्यय.....	
(क) नकद.....		जोड़	
जोड़ :.....			

5. सरकार से अनुदान और सहायता (यदि कोई हो)
6. ब्याज और जमा यदि कोई हो,.....

जोड़.....

कुल जोड़.....

.....का मन्दिर
ग्राम/नगर.....
तारीख.....

6. (क) न्यासी/कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय.....
(ख) विद्यालयों और पुस्तकालयों पर व्यय.....

(ग) प्रकीर्ण पूर्व व्यय.....

जोड़.....

7. घरेलू पशुओं का अनुरक्षण.....

जोड़.....

8. (क) भूमि का क्रय.....
(ख) घरेलू पशुओं का क्रय.....

जोड़.....

कुल जोड़.....

हस्ताक्षर.....
न्यासी/पुजारी का नाम.....

आदेश द्वारा,
एम0 के0 काव,
आयुक्त एवं सचिव (भाषा)।

[*Authoritative English text of Notification No. BHASHA-A* (3)-3/85, *dated* 24-1-1986 *is hereby publishe as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India, for general information.*]

Whereas the draft rules called the Himachal Pradesh Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 1984 were published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra ordinary), dated 24-11-1984 *vide* Government Notification No. 16-15/75-GAD-VOL-IV, dated 19-11-1984, as required under sub-section (1) of section 34 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984), for information of the persons likely to be affected and for inviting objections/suggestions, if any, from them within a period of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra:

And whereas no objections or suggestions were received within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984), the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules:—

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS RULES, 1984

1. *Short title, extent and commencement.*—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 1984.

(2) These extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984);
(*b*) "Assistant Commissioner" means the Assistant Commissioner appointed under rule 3;
(*c*) "Depreciation Fund" means a fund to which contributions as approved by the Commissioner are to be made for meeting the expenditure for restoration of assets which are subject to wear and tear;
(*d*) "Reserve Fund" means a fund set apart to provide for contingencies as may be approved by the Commissioner;
(*e*) "Section" means a section of the Act; and
(*f*) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Conditions of service of officers and staff appointed under section* 3.—The Assistant Commissioner or Assistant Commissioners shall be appointed to assist the Commissioner from amongst officers of the Himachal Pradesh Administrative Service. The ministerial staff will be taken from the offices of the Deputy Commissioners and the audit staff will be taken from the Finance Department (Local Audit Department) of Himachal Pradesh Government on such terms and conditions as the State Government may determine.

4. *Form and manner in which the registers are to be maintained under section* 6.—The register shall be maintained in Form 'A'.

5. *Notice under section* 6 (2).—The Notice to be issued by the Commissioner under section 6 (2) shall be in Form 'B'.

6. *Scrutiny and verification of the entries in the Registers under section* 7.—The verified statement required to be submitted to the Commissioner under section 7 (1) shall be accompianed by:—

(*a*) an affidavit of the trustee or his authorised agent to the effect that he has physically checked and verified the items as mentioned in the said document; and
(*b*) a declaration to the effect that all the title deeds and documents of the immovable property as mentioned in the register maintained under section-6 read with rule 5, colour photographs and images of idols, particulars of ancient or historical records of any other valuable items, are in his custody.

In case of any variation in the contents as shown in the register and at the time of physical verification, the trustee or his authorised agent shall, inform the Commissioner of the action taken by him as required under law.

The verification shall start from the 1st of April and will be completed by 30th June every year. During the verification the trustee or his authorised agent shall ensure that all the latest acquisitions have been incorporated in the register.

7. *Action required under section* 9 (1) *in case of damage to or encroachment on the immovable property.*—In case of any damage to or encroachment on the immovable property, the trustee or his authorised agent shall take all necessary steps required by law and shall also report the matter to the Commissioner.

8. *Applications under section* 12 *seeking transfer of land.*—The application seeking permission for transfer of immovable property belonging to, or given or endowed for the purpose of any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment by way of exchange, sale, mortgage or in any other manner whatsoever or for the lease of any such property shall be in form "C".

9. *Manner of the publication of the order of the Commissioner under section* 12 (3).—A copy of the order issued by the Commissioner under section 12 (3) shall be sent to the trustee concerned and the proposed alienees by registered post. It shall be also published by:

(*a*) affixture of the copy of the order in a conspicuous notice board or on the front door of the religious institution concerned;

(*b*) affixture of the copy of the order in a conspicuous place of the village or town where the property is situated. In case there is a Panchayat-ghar, the requirements of the rule will be met by affixture of the copy of the order on the Panchayat-ghar; and

(*c*) affixture of the copy of the order on the property in question and where the said property is land, *then by proclamation* of the order by beat of drum.

10. *Manner in which the enquiry is to be conducted under section* 14 (2).—The Financial Commissioner shall give a reasonable opportunity to the trustee and the proposed alience. He shall afford the parties opportunity to adduce evidence and make an order after hearing them. The Financial Commissioner shall not be bound to follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure and Indian Evidence Act. A copy of every order of the Financial Commissioner shall be published in the Official Gazette.

11. *Appellate Authority under section* 19 (2).—The Financial Commissioner shall be the appellate authority under section 19 (2) of the Act.

12. *Manner in which appeal is to be preferred under section* 19 (2).—Every appeal to the Financial Commissioner against the order of the Commissioner under section 19 (1) shall be preferred in the form of a memorandum signed by the appellant or his pleader. The memorandum shall set-forth, concisely and under distinct heads the grounds of objections to the order appealed and such grounds shall be numbered consecutively. Such appeal shall be sent to the Financial Commissioner either by registered post or presented in person or by a pleader and shall be accompanied by,—

(*a*) certified copy of the orders appealed from; and

(*b*) as many copies of the memorandum of appeal as are required for service upon the parties whose rights or interest shall be affected by any order that may be passed in such appeals.

13. *Form of budget to be prepared under section* 22.—The budget will be prepared in Form 'D'.

14. *Return of income and expenditure under section* 34 (2)(*h*).—The return of income and expenditure shall be filled by the trustee in form 'E' every quarter to the Commissioner.

15. *Repairs of temple buildings under section* 23 (2) (*i*).—In all cases where the temple building is more than 100 years old, the repair will be effected in consultation with the Department of Language and Culture, Himachal Pradesh Government. It shall be the duty of the trustee or the Pujari of any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment by the Commissioner on the repair and renovation of the building and preservation and protection of the property and asset of the Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment.

16. *Preservation and security of idols and images under section* 24 (2) (*k*).—It shall be the duty of the trustee or Pujari of any Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment. to take all necessary measures as directed by the Commissioner from time to time, for the preservation and security of idols and images in temples.

FORM-A

(*Rule*-4)

PARTICULARS AT CLOSE OF FINANCIAL YEAR

Origin and history of the Institution	Name of the post and present trustees	Particulars as to the information of usage and customs if any, regarding succession to the office of the trustee	Customs and usage regarding following— (*i*) Management of the institution. (*ii*) Tenure of the trustee/ manager. (*iii*) The powers & procedure regarding election/selection/nomination of the Baridars. (*iv*) The share of the Baridars.
1	2	3	4

Note.—(1) While filling up this form, the trustees shall invariably refer to the source from which the information has been obtained.
(2) This register should be in six parts.

PART-B

Total estimated income for the preceding ten years (year-wise):

1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84

PART-C

SCALE OF EXPENDITURE YEARWISE

Expenditure on performance on Puja and other vituals relating to worship of diety for the last three years (year-wise)	Annual recurring expenditure for the last three years (year-wise) relating to maintenance of the educational institutions. (information in respect of each institution is to be given separately)	Annual expenditure for the last three years relating to medical institutions (information in respect of each institution may be given separately)	Annual expenditure on training of Vidyarathis (indicate total annual expenditure for the last three years) (year-wise)
1	2	3	4

Expenditure on Dharamshala and Sarais for the last three years (year-wise) (Please indicate expenditure in respect of each Dharamshala or Sarai separately)	Expenditure for the last 3 years (year-wise) on repair and renovation of buildings (other than Dharamshalas, educational institutions)	Recurring expenditure for the last three years (year-wise) on any other institutions run or activity undertaken
5	6	7

PART-D

NAMES OF THE EMPOLYEES AND THE NATURE OF SERVICE

Name & designation of the employee of the institution with parentage	Nature of Service (It may be specified whether the employment is part time or full time/hereditary or non-hereditary)	Salary	Perquisites	Total employment
1	2	3	4	5

PART-E
MOVEABLE PROPERTY

(*i*) Funds.....

Cash in hand	Deposits					
	Current/Saving Accounts in Banks/ Post Offices/other Institutions			Long-term Deposits in Banks/ Post Offices/other Institutions		
	Inst.	Acctt. No. and type	Amount	Inst.	Account No. & type	Period of deposit	Amount

(*ii*) Other Moveable Property:

Sr. No.	Item	Description	Quantity in No. weight	Constituent elements with propertion	Estimated present value
1	2	3	4	5	6
1.	Jewellery				
2.	Gold				
3.	Silver				
4.	Jewels/precious stones				
5.	Vessels				
6.	Utensils				
7.	Other moveable property not specified above.				

PART-F

AGRICULTURE LAND:

Name of village/town where the immovable property is situated	Khatauni No./ Khasra No.	Area	LR/ Rent	Approximate value as per sale deeds or other documents	Annual income from each property (please paste a copy of the latest Jamabandi Certificate/ copy of sale deed/ gift deed)

BUILDINGS AND SHOPS:
Particulars of the building/shop:

1. Location
2. Khasra No.
3. Description of the building
4. Name of the building
5. Plinth area of the building
6. Estimated value of the building
7. Annual income from the building

ANY OTHER PROPERTY WITH FULL PARTICULARS:

Details of title deed and documents

PART-G

Name of the Idol	Constituent elements of the Idol	Details of Images or paintings etc.	Particulars of ancient or historical records with their contents in brief
1	2	3	4

Note:—The coloured photographs of Idols and images should be kept in an Album which will form a part of the register.

FORM-B

(Rule 5)

Office of the Commissioner....., Himachal Pradesh
No..... Dated.....

NOTICE UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 6 OF THE ACT

Whereas the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, has come into force.

Whereas the aforesaid Act applies to your Institution, namely.....

And whereas under section 6 (1) of Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment Act, 1984, you are required to prepare and maintain a register as prescribed under Rule 4.

Now in exercise of the powers conferred upon me under section 6 (2) of Himachal Pradesh Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, I hereby serve notice on Shri .....s/o..... trustee/authorised agent of the trustee, to submit the register in duplicate, maintained by him under the aforesaid provision of the Act, to the undersigned within 3 months from the date of this notice. The register should be complete in all respects duly signed by the trustee or his authorised agent.

Commissioner
(with his stamp affixed)

To

.....

.....

FORM-C

(Rule 8)

FORM OF APPLICATION SEEKING PERMISSION FOR TRANSFER LEASE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER SECTION 12 OF THE ACT

To

The Commissioner,
.....Division,
.....Himachal Pradesh.

Application of.....resident of.....Post Office.....District.....
The applicant showeth as follows:—

(1) That the applicant is the trustee/authorised agent of the.....
(2) That the applicant wants to transfer/lease the following property by.....
(give the mode of transfer).

Agricultural Land	Buildings	Any other property
1	2	3
1.		
2.		
3.		

(3) That the gross annual income from the above said property comes to Rs.....,the details of which are given below:—

1.
2.
3.

(4) That the applicant wants to transfer/lease the said property to Shri.....
s/o.....belonging to.....(full address)
for the following reasons:—

1.
2.
3.

(5) That the amount of consideration is.....

(6) That this property has/has not been reflected in the register. The income of the property has been/has not been reflected in budget for the year.....

The reason for omission of property in the register maintained under section 6 (2) of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 is that.....

The reason for ommission of the income of the property is that.....

It is, therefore, requested that permission under section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, may please be accorded.

Date: *Signature of trustee or his authorised agent.*

FORM-D

(Rule 13)

Name of location of the Religious Institution.....

ANNUAL BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR.....

Estimated Receipts	Rs. P.	Estimated Disbursements	Rs. P.
I. Opening Balance:—		I. Estimated Disbursements:	
(*i*) Cash in hand.....		(*a*) Non-recurring	
(*ii*) Cash at bank.....		(*b*) Major repairs and rebuilding of the assets such as building wells, canals, first manuring of agricultural lands etc.	
		(*ii*) New purchase of immovable properties, scrips for investments valuable and other movables etc.	
		(*iii*) fixed Deposits with Banks and other Companies.	
II. Estimated Receipts:			
(*a*) Non-recurring—			
(*i*) Donations to be received towards corpus or for capital objects			
(*ii*) Ordinary donations to be received for specific or earmarked object (s)			
(*iii*) Ordinary Donations			
(*b*) Recurring—		(*b*) Recurring:—	
(*i*) Rents, lease rents on immovable property.		(*i*) Rents, Rates, Taxes and Insurance.	
(*ii*) Interest on debentures, securities, deposits etc.		(*ii*) Administration expenses	
(*iii*) Dividends on shares etc.		(*iii*) Payment of salaries and perquisites to the staff.	
(*iv*) Income from agricultural lands		(*iv*) Transfer to depreciation fund	
(*v*) Other revenue receipts		(*v*) Special and current repairs to building, furniture and other assets.	
III. Realisation from disposal of assets, repayment of deposits etc.		II. Miscellaneous expenses not covered by the items above.	
(*a*) Sale of shares, securities etc.		III. Expenses on the objects of the trust	
(*b*) Repayment of deposits, securities, loans etc.		(Details to be given for each object):	
(*c*) Disposal of assets		1.	
(*d*) Others		2.	
		3.	
		IV. Surplus of receipts over expenditure:	
		(*i*) To be retained in cash or bank	
		(*ii*) To be transferred to reserve funds.	
		(*iii*) To be added to corpus	
		(*iv*) Closing Balance:	
		(*v*) Cash in hand Rs.....	
		(*vi*) Cash at Bank Rs.....	
Total:		Total:	

Note.—The item-wise details of income and expenditure with description of property shares deposits, staff and works etc. from which income is to be derived and on which expenditure is to be incurred should be attached so that it is clear as to the basis on which the estimates have been prepared.

FORM-E
RETURN OF INCOME AND EXPENDITURE

[Under Rule 14 and Section 34 (2) (*h*) of the Act]

Temple of.........

Quarter ending..............

Income	Rs. P.	Expenditure	Rs. P.
OPENING BALANCE:			
(*a*) Cash		1. (*a*) Pay of employees and servants.	
(*b*) Current account		(*b*) Travelling allowance	
(*c*) Price of crop etc.		(*c*) Contingencies	
Total		Total:	
2. LAND:			
(*a*) Estimated quantity of crops		2. Expenditure for general daily worship.	
(*b*) Other income from land		3. Expenditure for festivals and ceremonies.	
Total income from land		4. (*a*) Expenditure for personal cultivation and horticulture.	
		(*b*) Expenditure for improvement and repair of lands.	
		(*c*) Expenditure for repair of buildings.	
		Total expenditure for repair of land and buildings.	
Rents and Fees:			
(*a*) Income from shops situated within the premises of the temple		5. Expenditure towards suits and cases.	
Total:		Total:	
4. Offerings to Deity:		6. (*a*) Medical expenditure on trustee/employees	
(*a*) Cash		(*b*) Expenditure on schools and libraries.	
Total:		(*c*) Miscellaneous charitable expenses.	
5. Grants and Aids from Government (if any).			
6. Interest on Deposits if any.			
Total:		Total:	
		7. Maintenance of domestic animals.	
		Total:	
		8. (*a*) Purchase of lands	
		(*b*) Purchase of domestic animals.	
		Total:	
Grand Total:		Grand Total:	

Temple of——————

Village/Town——————

Date——————

Signature

Name of trustee/Pujari ....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा मद्रित तथा प्रकाशित ।